न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी, श्री नेमा राम आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 144/2023
जीसीएमएस सं. – 2023/247

प्रार्थीगण :
1. नोजीदेवी पत्नि स्व. गुदड़राम
2. हीराराम पुत्र स्व. गुदड़राम
3. ढगलीदेवी पुत्री स्व.गुदड़राम
4. जैता पुत्री स्व. गुदड़राम पत्नि कानाराम जाति देवासी निवासीगण ग्राम जालीवाड़ाकंला तहसील पीपाडशहर जोधपुर

बनाम

अप्रार्थीगण :
1. चिमनाराम पुत्र खींयाराम जाति जाट निवासी ग्राम जालीवाड़ाकंला तहसील पीपाडशहर जोधपुर
2. भूमिधारी जरिये तहसीलदार, पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

दर्ज दिनांक 11/7/2023

उपस्थित अधिवक्ता
श्री विजय चौहान प्रार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक : 16/04/2026

प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जालीवाड़ाकंला पटवार क्षेत्र नानण भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कब्जाशुदा, खातेदारी, तरमीमशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 186 क्षेत्रफल 2.9448 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि स्थित है जो राजस्व रेकर्ड में खाता संख्या नया 28 व पूराना 20 में दर्जशुदा है। प्रार्थीगण के खातेदारीसुदा खेत खसरा नबरं 186 में आने जाने हेतु कटाणी रास्ता खसरा नबंर 214 से होकर खसरा नबंर 110/2 सरकारी भूमि में प्रवेश करके खसरा नबंर 111 की दक्षिणी माठ से सहारे सहारें होता हुआ कदमी रास्ता चलता है जिसकी चौडाई करीब 15 फिट है। उक्त कदमी रास्ता आगे प्रार्थीगण के खेत खसरा नबरं 186 में आने जाने का पीढ़ीयों से कदमी रास्ता विद्यमान रहा है। वादग्रस्त रास्ता को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही के मध्य मार्क ए, बी, सी, डी के मध्य दर्शाया गया है जिस संलग्न नजरी नक्शें को प्रार्थनापत्र का अभिन्न अंग माना जावें। वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थीगण पीढ़ीयों से आवागमन हेतु एंव टेक्ट्रर ट्रॉली, बैल छकड़ा, मवेशी वगैराह लाने ले जाने हेतु उपयोग उपभोग करतें आयें है। उक्त वादग्रस्त कदमी रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। अप्रार्थीगण ने खेत खसरा नबंर 111 की दक्षिणी सीमा पर चल रहें वादग्रस्त रास्ता में कांटें वगैराह डालकर आवागमन हेतु रास्ता में अवरोध पैदा कर दिया जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वादग्रस्त रास्ता पर कांटे डालकर वादग्रस्त रास्ता में अवरोध क्यो खडे किये है जिस पर अप्रार्थीगण ने ऐलानियाँ कहा कि खसरा नबंर 111 मेरी खातेदारीशुदा जमीन है इसलिए कांटे वगैराह डालकर वादग्रस्त रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद करके रहेगें जबकि अप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है क्योकि वादग्रस्त रास्ता पीढीयों से विद्यमान रहा है एंव प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का एकमात्र

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

रास्ता है। यह है कि खेत खसरा नबंर 186 प्रार्थीगण की कब्जासुदा खातेदारी भूमि है। खेत खसरा नबंर 186 में आने जाने का पीढीयों से परम्परागत कदमी रास्ता खेत खसरा नबंर 111 व 110/2 में स्थित वादग्रस्त रास्ता ही है जिसकी चौडाई करीब 15 फिट है। उक्त वादग्रस्त रास्ता का प्रार्थीगण पीढ़ीयों से आवागमन हेतु व आने जाने हेतु उपयोग व उपभोग में लेतें आयें है इसलिए उक्त वादग्रस्त रास्तें को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता तरमीम किया जाकर राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे। उक्त वादग्रस्त रास्ता खसरा नबंर 110/2 व 111 की भूमि में स्थित है। उक्त रास्ते की भूमि की कीमत प्रार्थीगण अदा करने हेतु तैयार है इसलिए वादग्रस्त रास्ता को रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व नक्शें मे तरमीम किया जावें। प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र पेश कर न्यायालय हाजा से विन्रम निवेदन है कि ग्राम जालीवाड़ाकंला पटवार क्षेत्र नानण भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र कोसाणा तहसील पीपाड शहर जिला जोधपुर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कब्जाशुदा, खातेदारी, तरमीमशुदा कृषि भूमि खसरा नम्बर 186 क्षेत्रफल 2.9448 हेक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय कृषि भूमि में आने जाने वाला वादग्रस्त रास्ता जो अप्रार्थीगण के खेत खसरा नबंर 110/2 व 111 में स्थित है जिसे रास्ता घोषित फरमाया जावे व नक्शें में वादग्रस्त रास्ता तरमीम किया जावें एंव अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावें कि वादग्रस्त रास्ता हमेशा खुला रखे एवं वादग्रस्त रास्ता के प्रार्थीगण के उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण किसी प्रकार की बाधा व दखलअंदाजी उत्पन्न नही करे न ही किसी अन्य से करावें।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया, अप्रार्थीगण को समन जारी किये गये । अप्रार्थी सं. 01 बाद समन तामिल बार बार अवसर दिये जाने पर भी स्वंय अथवा प्रतिनिधि अनुपस्थित जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा न्यायालय में मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसके अनुसार उपस्थित पक्षकारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया । मौका रिपोर्ट में सलग्न नजरी नक्शा अनुसार मौके प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 301(पुराना खसरा संख्या 110/2) से होते हुए अप्रार्थी 01 के खेत खसरा संख्या 298 (पुराना खसरा संख्या 111) से होते हुए खसरा संख्या 307(पुराना खसरा संख्या 186) के रास्ते की मांगी की है मार्क **ABCD** जिसकी कुल लम्बाई 200 मीटर चौड़ाई 05 मीटर कुल क्षेत्रफल 1000 वर्गमीटर यानि 0.1 हैक्टेयर है जबकि खसरा संख्या 307 में आने जाने हेतु मौका रिपोर्ट में मार्क **GHDEF** से दर्शाये अनुसार खसरा संख्या 298 में से रास्ता की लम्बाई 112 मीटर चौड़ाई 05 मीटर कुल क्षेत्रफल 560 वर्गमीटर यानि 0.0560 हैक्टेयर जो कि प्रार्थीगण द्वारा मांग किये गये रास्ते से कम है। अतः मार्क **GHDEF** निकटतम रास्ता होने से उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि के डी.एल.सी. दर की गणना करने पर निम्न अनुसार राशि होना पाया ।

खसरा नम्बर	रकबा	राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दुगुनी	कुल देय
298	0.0560 हैक्टयर	330000 X 2	36960/-

उपरोक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि डी.एल.सी.दर से गणना कर पालना रिपोर्ट तैयार की गई ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

हमने बहस वकुलाय सुनी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 307 (पुराना खसरा संख्या 186) में आने जाने हेतु खसरा संख्या 298 (पुराना खसरा संख्या 111) में से रास्ते दिये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पक्षकारान् सुनी, पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों, एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका कमिश्नर रिपोर्ट का अवलोकन एवं उस पर मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम जालीवाड़ाकलां के खसरा नम्बर 307 में आने जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 01 के खेत खसरा नम्बर 298 मे से सबसे निकटतम रास्ता मौका फर्द में दर्शाये अनुसार दिया जाना उचित हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम जालीवाड़ाकलां के खसरा नम्बर 307 में आने जाने हेतु अप्रार्थी 01 के खेत खसरा नम्बर 298 में तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्रस्तुत कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शाये अनुसार कुल क्षेत्रफल 0.0560 हैक्टयर भूमि को रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है । जिसकी वर्तमान डीएलसी दर 330000/- की गणना से कुल मालियत राशि रूपये 36960/- बनती है, रास्ते के काम आयी कुल भूमि 0.0560 हैक्टयर भूमि की मालियत राशि रूपये 18480/- रूपये बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगुनी राशि 36960/- रूपये बनती है। प्रार्थीगण राशि 36960/- रूपये का चैक/डी.डी. अप्रार्थी राजकोष के नाम से तहसीलदार पीपाड़ शहर के समक्ष जमा करावे ।

तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि राशि 36960/- रूपये का चैक/ डी. डी. प्रार्थी से प्राप्त कर अप्रार्थी/राजकोष में जमा करावें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम राजस्व नक्शे में करें इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो । मौका कमिश्नर रिपोर्ट व उसमें संलग्न मौका फर्द एवं नजरी नक्शे को निर्णय का अंग समझा जायें खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें ।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर

निर्णय आज दिनांक 16/04/2026 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(नेमा राम)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर जिला जोधपुर